REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 658]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2015/चैत्र 10, 1937
No. 658]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2015/CHAITRA 10, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

का.आ. 882(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों का निष्पादन, प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्यों को उक्त अधिसूचना के तहत वर्तमान में प्रवर्तन नियमावली के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध होगी तथा इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

तालिका

"14	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3, [किमी 561.0 से किमी 585.0 को छोड़कर रारा-4 के साथ	महाराष्ट्र	राज्य
	जंक्शन से मुंबई तक और किमी 168.500 से किमी 539.500 तक (मध्य	सरकार".	
	प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा – पिंपलगांव – धुले – नासिक – गोंपे) को छोड़कर], सं. 6		
	[किमी 9.20 से किमी 649.000 तक (नागपुर – तालेगांव - अमरावती बाइपास),		
	किमी 405.000 से किमी 485.000 तक (रायपुर - नागपुर खं1) और किमी		
	498.000 से किमी 544.200 तक (नागपुर – वैनगंगा पुल) को छोड़कर], सं. 9		
	[किमी 40.000 से किमी 348.800 तक (पुणे – शोलापुर – महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा)		
	को छोड़कर], सं. 13 [किमी 13.500 से किमी 30.340 तक (शोलापुर–		
	महाराष्ट्र∕कर्नाटक सीमा का शोलापुर-बीजापुर खं□) छोड़कर], सं.16, सं.17 [किमी		

1456 GI/2015

0.000 से किमी 84.000 तक (पनवेल – इंदापुर) को छोड़कर], सं. 50 [किमी 12.190 से किमी 42.000 तक (पुणे – नासिक खंग्र) को छोड़कर], सं. 204, सं. 211 [किमी 0.000 से किमी 452.800 तक (शोलापुर – येदिसी – औरंगाबाद – धुले) को छोड़कर, सं. 222 और नया रारा सं. 848 (नासिक से पेइंत), **नई रारा सं-150 विस्तार,** नई रारा सं.160, नई रारा सं.161, नई रारा सं.166, नई रारा सं.166ए, नई रारा सं.348, **नई रारा सं.353सी, नई रारा सं.353ग्री,** नई रारा सं.361, **नई रारा सं.547ई** नई रारा सं.753, नई रारा सं.753ए, नई रारा सं.753बी, **नई रारा सं.848ए,** नई रारा सं.930 **और नई रारा सं.953** का उतना भाग जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है ।

[फा.सं. एनएच-14013/15/2014-पीएं🛛 एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएं□बी)

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.254 (अ), तारीख 28 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2015

S.O. 882(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE	
-------	--

(1)	(2)	(3)
"14	So much of National Highways No.3 [excluding from Km. 561.0 to Km. 585.0 from Junction	State
	with NH 4 to Mumbai and from Km. 168.500 to Km. 539.500 (Madhya Pradesh/Maharastra	Government of
	Border- Pimplagaon - Dhule - Nashik - Gonde)], No.6 [excluding from Km. 9.20 to Km.	Maharashtra".
	649.000 (Nagpur-Talegaon-Amravati bypass-Gujarat/Maharashtra border), Km.405.000 to	
	Km. 485.000 (Raipur - Nagpur section) and from Km. 498.000 to Km. 544.200 (Nagpur-	
	Wainganga Bridge)], No.9 [excluding from Km. 40.000 to Km. 348.800 (Pune-Solapur-	
	Maharashtra/Karnataka border)], No.13 [excluding from km. 13.500 to km. 30.340 (Solapur-	
	Maharashtra/Karnataka border of Solapur-Bijapur section)], No.16, No.17 [excluding from	
	Km. 0.000 to Km. 84.000 (Panvel-Indapur), No.50 [excluding from Km.12.190 to	
	Km.177.000 (Pune-Nasik-Khed-Sinnar section)], No.204, No.211 [excluding from Km.	
	0.000 to Km. 452.800 (Solapur -Yedishi - Aurangabad - Dhule)], No.222, new National	
	Highway number 848 (Nasik to Peint), new NH No. 150 Extn, new NH No. 160, new NH	
	No. 161, new NH No. 166, new NH No. 166A, new NH No. 348, new NH No. 353C, new	
	NH No. 353D, new NH No. 361, new NH No. 547E, new NH No. 753, new NH No. 753A,	
	new NH No. 753B, new NH No. 848A, new NH No. 930 and new NH No. 953 as are	
	situated within the State of Maharashtra.	

[F. No. NH-14013/15/2014-P&M] MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note : The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 254 (E), dated the 28th January, 2015.